इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 348] भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 जुलाई 2011—आषाढ़ 29, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्र. 16804-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबन्धों के पालन में, मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 27 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 20 जुलाई 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २७ सन् २०११

मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा ३ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) की धारा ३ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१) प्रत्येक उत्पादन कम्पनी या किसी कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का स्वामी या उसका संचालन करने वाला कोई व्यक्ति, उस विद्युत ऊर्जा की, जो विहित कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश राज्य में किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी या किसी उपभोक्ता को बेची गई या प्रदाय की गई हो या स्वयं उसके द्वारा या उसके कर्मचारियों द्वारा उपभुक्त की गई हो, कुल यूनिटों पर ऊर्जा विकास उपकर पन्द्रह पैसे प्रति यूनिट की दर से, विहित रीति में तथा विहित समय पर, राज्य सरकार को चुकाएगा:

परंतु ऐसी किसी उत्पादन कम्पनी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत् ऊर्जा के संबंध में कोई उपकर देय नहीं होगा जिसमें कि मध्यप्रदेश शासन का इक्यावन प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा (इक्विटी) हो.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "उत्पादन कम्पनी", "व्यक्ति", "कैप्टिव उत्पादन संयंत्र", "वितरण अनुज्ञप्तिधारी" और "उपभोक्ता" के वही अर्थ होंगे जो विद्युत् अधिनियम, २००३ (२००३ का ३६) की धारा २ में उनके लिए दिए गए हैं.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, वितरण कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदाय की गई विद्युत् ऊर्जा पर से ऊर्जा विकास उपकर समाप्त करने के लिए प्रस्तावित है. ऊर्जा विकास उपकर अब केवल उत्पादन कम्पनियों से ही उद्ग्रहणीय होगा. ऐसी उत्पादन कम्पनियों को, जिनमें मध्यप्रदेश शासन का इक्यावन प्रतिशत हिस्सा (इक्विटी) है, ऊर्जा विकास उपकर से छूट दिये जाने का उपबंध किया जाना भी प्रस्तावित है. अतएव, मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) की धारा ३ को यथोचित् रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : १६ जुलाई, २०११

राघवजी
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित".

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, २०११ की धारा ३ की उपधारा (१) के द्वारा विद्युत् प्रदाय/विक्रय या उपभुक्त किये जाने की कालावधि विहित करने एवं उक्त विद्युत् ऊर्जा के कुल यूनिटों पर ऊर्जा विकास उपकर चुकाये जाने संबंधी प्रक्रिया तथा कालावधि सुनिश्चित किये जाने के संबंध में नियम बनाये जायेंगे जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.